भारतीय गेहू एवम जों अनु. संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसधान परिषद)
पोस्ट बॉक्स न.158, अग्रसैन मार्ग करनाल-132001

भकृ अनुप
ICAR

निविदा द्वारा बिक्री की शर्ते

निविदा :-

1. विधिवत हस्ताक्षरीत निविदा पत्र मोहर बंद लिफाफे मे प्रस्तुत किया जाए लिफाफे पर विज्ञापन सख्या और निविदाकार का नाम उल्लेख होना चाहिए अन्यथा निविदा पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

2. मोहर बंद लिफाफे "सहायक प्रशासनिक अधिकारी" के कमरे मे रखीं "निविदा पेटी" मे डाले जाए।

3. अधिसूचित समय (20-11-2018 को 1:00 pm है) समय समाप्त होने के बाद निविदाये अस्वीकार कर दी जायेगी। निविदाये 20-11-2018 को 3:00 pm पर खोली जाएगी । यदि कोई निविदा वाली फर्म निविदाये खोलते समय आना चाहे तो आ सकता है ।

4. निदेशक, भा. गेहूं. एवं जों अनु. सं., करनाल को सबसे अधिक दाम वाली या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। निविदाकर्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य को ध्यान में रखकर ही सामान/अनाज की बोली लगायें।

5. निविदाकारो को निविदा के साथ निदेशक, भा. गेहूं एवं जों अनु. सं. करनाल (Director, ICAR- IIWBR, KARNAL) के नाम के राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट के रूप मे जमा करना होगा किसी अन्य रूप में बयाना स्वीकार नहीं किया जायेगा ऐसी निविदाएँ तथा बिना बयाने कि निविदाये अस्वीकृत की जाएगी।

6. बयाना राशी (EMD)रु. 25000 /- होगी।

7. "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सामान कि बिक्री का प्रस्ताव है। संस्थान मे आकर सामान निरीक्षण के उपरान्त मे पुरे मूल्य का उल्लेख करना है ।

8. सभी सामान बेचते समय यह मान लिया गया है कि निविदा प्रस्तुत करने से पहले सभी सामान का निरीक्षण कार्यालय करनाल मे आकर कर लेवें। खरीददार को चेतावनी दी जाती है कि खरीदने कि पूरी जिमेदारी और जोखिम उसकी होगी। किसी विवरण पर भरोसा ना किया जाये और इस विषय मे किसी शिकायत पर विचार नही किया जाएगा ।

9. अधिक दाम लगाने वाले खरीदार को सामान उठाने के लिए चयन किया जाएगा। सामान देखने का समय कार्यालयीन समय मे 19.11.2018 सवेरे 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रहेगा। सामान/अनाज ले जाने के लिए खरीदार को पत्र द्वारा अनुमति दी जाएगी खरीदार को सामान उठाने के पहले बाकि राशि इलेक्ट्रॉनिक/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी। एवं सामान/अनाज उठाने का खर्च खरीदार का होगा व बारदाना भी खरीदार का होगा ।

10. निर्धारित समय पर सामान/अनाज नही उठाया गया हो तो जमा कि गई बयाना राशि जब्त कि जाएगी।

11. असफल क्रेताओ को बयाना राशि का डिमांड ड्राफ्ट वापिस किया जाएगा ।
12. निदेशक भारतीय गेहू एवम जों अनु. संस्थान करनाल बिना कोई कारण बताये बोलियों को कैंसिल करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

13. किसी भी प्रकार के लोकल टेक्स का वहन स्वय करना होगा। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का टेक्स नही दिया जाएगा ।

(वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)